भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 369

दिनांक 01.12.2021/ 10 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

त्रिपुरा में हिंसा

369 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने त्रिपुरा में पिछले कुछ सप्ताह से हो रही अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मुद्दे का समाधान करने और इसके दोषियों को क्यों नहीं रोका गया इसका जवाब उस राज्य से मांगने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ अफवाहें फैलाने और द्वेषपूर्ण भाषण देने के लिए किसी विशिट समूह की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त समूहों के नाम क्या हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जान - माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि सम्पत्ति के नुकसान की कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं। तदनुसार, पिछले कुछ सप्ताह के दौरान राज्य में उपरोक्त घटनाओं के 15 मामले दर्ज किए गए है।

(ख): ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया है। रात्रि के दौरान मोबाइल/स्थायी पिकेट व्यवस्था और नियमित गश्त जारी है। सभी धार्मिक स्थलों को सुरक्षा प्रदान की गई हैं।

(ग) और (घ): अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अफवाह फैलाने और घृणापूर्ण भाषणों के लिए किसी समूह विशेष की पहचान नहीं हुई है। तथापि, सोशल मीडिया में अफवाह/साम्प्रदायिक नफरत फैलाने वाले दुर्भावनापूर्ण पोस्ट करने के संबंध में 6 मामले दर्ज किए गए हैं।

******